HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.1(ख)(3–2)एचजेयू/प्रशा./मीटिंग/वि.प.–VIII/2024/3783 दिनांकः 24.10.2024

विद्यापरिषद् की अष्टम बैठक दिनांक 21.10.2024 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की अष्टम बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को 02:00 बजे "मंथन सभागार", द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग नामनिर्देशित, प्रभारी सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	श्री भंवर लाल मेहरड़ा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	डॉ. ऋचा यादव	कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कार्यकारी संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
7	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
8	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू,

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

9	डॉ. शालिनी जोशी	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10	प्रो.दीपक भटनागर	परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन), विशेष आमन्त्रित
11	डॉ. सत्येंद्र बसवाल	वित्त नियंत्रक, विशेष आमन्त्रित
12	प्रो. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, विशेष आमन्त्रित
13	डॉ. अजय कुमार सिंह	समन्वयक, शोध केंद्र, विशेष आमन्त्रित

निर्धारित गणपूर्ति के पश्चात अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक आरम्भ की गई। कुलसचिव द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण का स्वागत किया गया तथा बैठक की कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कुलपति महोदया की अनुमति से एजेंडावार विचार–विमर्श किया जा कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
8–1	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 के निर्णयों की **अनुपालना रिपोर्ट** का अनुमोदन।
	निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–2	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की षष्ठम बैठक दिनांक 01.08.2023 के निर्णयों की **अनुपालना रिपोर्ट** का अनुमोदन।
	निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–3	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 के निर्णयों की **अनुपालना रिपोर्ट** का अनुमोदन।
	व्याख्यात्मक नोट : विद्यापरिषद् की पंचम, षष्ठम एवं सप्तम बैठक के पश्चात् दिनांक 04.09.2023 को प्रबंध बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। जिसमें उक्त तीनों बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन कर दिया गया था। तीनों बैठकों के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 04.09.2023 में विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 के समस्त एजेंडा बिन्दुओं पर कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	किया गया परन्तु एजेंडा बिन्दु 7–1 के क्रम में प्रस्तुत ऑर्डिनेंसों की विषय वस्तु को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के अनुसरण में, प्रबंध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से परिनियम की परिधि में मानते हुए इस विषय में परिनियम तैयार कर प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत किए जाने तथा इस निमित्त विद्यापरिषद को सूचित किए जाने का निर्णय किया गया था। तदनुरूप कार्रवाई कर, इस निमित्त पृथक एजेंडा में ऑर्डिनेंस पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–4	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की विशेष पंचम बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त एवं निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–5	प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के एजेंडा बिन्दु 6–12 के निर्णय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 (ङ) एवं 47 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा प्रबंध बोर्ड द्वारा इस निमित्त गठित समिति के परीक्षण उपरान्त निम्नांकित ऑर्डिनेंसों के प्रारूपों पर विचार एवं अनुमोदनः– 1. विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियमित भर्ती के लिए ऑर्डिनेंस प्रारूप (Draft of Ordinance for Direct Recruitment of Teachers and Other Academic Staff in the University) 2. विश्वविद्यालय शिक्षकों के कॅरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत (CAS)अन्तर्गत प्रोन्नति संबंधी ऑर्डिनेंस प्रारूप (Draft of Ordinance for the Promotion under CAS)
	<u>व्याख्यात्मक नोटः</u> प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2024 में कार्यसूची संख्या 6–12 पर विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 के कार्यवृत्त के शेष सभी कार्यसूची बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया। परन्तु विद्यापरिषद के कार्यसूची संख्या 7–1 के संबंध में विचार विमर्श उपरान्त प्रबंध बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय किया गया : • सदन के समक्ष प्रस्तुत तीन ऑर्डिनेंस प्रारूपों 1. Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Teachers and other Academic Staff in University (based on UGC Regulation dated 18th July, 2018). 2. Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University.

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

3. Ordinance for Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules, 1999 and Modification introduced time to time.

की विषय वस्तु विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार Statutes की परिधि में आती है। तदनुसार इन्हें परिनियम (Statutes) प्रारूपों के रूप में स्वीकार किया जाए तथा इस आशय की सूचना विद्यापरिषद की आगामी बैठक में दी जाए।''

- 'यह भी निर्णय लिया गया यदि कि क्रम संख्या 1 पर उद्धृत परिनियम प्रारूप के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 एवं 31 जुलाई, 2023 की जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप राज्य सरकार से वांछित अनुमति (असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर न्यूनतम अर्हता के संबंध में) प्राप्त हो जाती है तो उक्तानुसार परिनियम–प्रारूप में परिवर्तन/संशोधन करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाए।
- प्रबंध बोर्ड द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि इस बैठक का कार्यवृत्त जारी किए जाने के साथ–साथ ही सभी परिनियम एवं ऑर्डिनेंस प्रारूपों को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अनुमोदन के लिए भिजवा दिया जाए।

सदन को सूचनार्थ निवेदित है कि विश्वविद्यालय में परामर्शदाता महोदय द्वारा परिनियम तैयार कर, इस निमित्त गठित समिति से परीक्षण करवा लिया गया है तथा इन्हें प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

यद्यपि प्रबंध बोर्ड द्वारा गत बैठक में यूजीसी अधिसूचना दिनांक 30.06.2023 तथा दिनांक 31.07.2023 के संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर परिनियम प्रारूप में संशोधन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया था, परन्तु राज्य सरकार से आदिनांक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रबंध बोर्ड के उक्त निर्णयानुरूप कार्यवाही के क्रम में उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की नियमित भर्ती तथा कॅरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत (CAS) प्रोन्नति के प्रमुख बिन्दुओं को परिनियम में सम्मिलित किया गया है, परन्तु ऑर्डिनेंस के सम्पूर्ण बिन्दुओं को परिनियम में सम्मिलित किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिसूचना, 2018 में स्वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा ही समय–समय पर अनेक संशोधन किए जा रहे हैं तथा परिनियमों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45(5) के अनुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य है।

अतएव, कुलपति महोदया के निर्देशानुसार परामर्शदाता महोदय द्वारा पूर्व में अनुमोदित ऑर्डिनेंस Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Teachers and other Academic Staff in University (based on UGC Regulation dated 18th July, 2018) को विभाजित करते हुए दो पृथक–पृथक ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन दोनों ऑर्डिनेंसों का परीक्षण प्रबंध बोर्ड द्वारा इस निमित्त गठित समिति द्वारा करवाया जा चुका है। ये ऑर्डिनेंस निम्नानुसार है :

1. Draft of Ordinance for Direct Recruitment of Teachers and Other Academic Staff in the University
2. Draft of Ordinance for the Promotion under CAS

इनके अनुमोदन से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा आवश्यक है। ये बिन्दु ऑर्डिनेंस के प्रथम पृष्ठ पर संलग्न किए गए हैं। सदन में चर्चा अनुरूप निर्देशित संशोधन करवाते हुए प्रारूप ऑर्डिनेंसों को प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करवाए जाने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यापरिषद की सप्तम बैठक में क्रमांक 02 एवं 03 पर प्रस्तुत ऑर्डिनेंस प्रारूप (Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University एवं Ordinance for Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules, 1999 and Modification introduced time to time)) की विषय वस्तु को प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुरूप पुनर्विचार करते हुए परिनियमों में सम्मिलित किया जा चुका है तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के अनुसरण में प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन को सूचनार्थ निवेदित है। उक्त दोनों विषयों पर पृथक से विस्तृत ऑर्डिनेंस तैयार किया जाना भी प्रकियाधीन है तथा इन्हें तत्पश्चात् प्रबंध बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। सूचनार्थ निवेदित है।

<u>निर्णय</u>

1. सदन में विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियमित भर्ती के संबंध में प्रस्तुत ऑर्डिनेंस प्रारूप तथा उसके साथ इस संबंध में संलग्न प्रमुख बिंदुओं पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त संशोधित ऑर्डिनेंस प्रारुप को सदन द्वारा सर्वसम्मति से तद्नुसार स्वीकृत किया गया।

2. विश्वविद्यालय शिक्षकों के कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम अंतर्गत प्रोन्नति संबंधी ऑर्डिनेंस प्रारुप पर सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श कर प्रस्तावित ऑर्डिनेंस प्रारुप को

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। विचार–विमर्श के दौरान सहायक आचार्यों के लिए वरिष्ठता निर्धारण हेतु पृथक से स्पष्ट नियम बनाने का बिंदु भी उठाया गया जिससे सहमत होते हुए इस पर सदन द्वारा गहन चर्चा कर पृथक से स्पष्ट नियम बनाने हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।
8–6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में तैयार (Ordinance for opening of New Units having Course under Self Financing Scheme and Course under Self Financing Scheme in Existing Units) ऑर्डिनेंस के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।
	व्याख्यात्मक नोटः हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में परामर्शदाता महोदय द्वारा तैयार Ordinance for opening of New Units having Course under Self Financing Scheme and Course under Self Financing Scheme in Existing Units का परीक्षण इस निमित्त प्रबंध बोर्ड द्वारा गठित समिति से करवाया जा चुका है। सदन के समक्ष ऑर्डिनेंस प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय ऑर्डिनेंस के प्रारूप पर गहन विचार विमर्श उपरांत ###.7 में अंकित मानदेय भुगतान संबंधी प्रावधानों में उल्लेखित 'under the vidya sambal yojna' शब्दावाली को विलोपित करते हुए ऑर्डिनेंस प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–7	भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), इण्डियन कॉउसिंल ऑफ सोशल सांइस रिसर्च (ICSSR) आदि द्वारा शोध हेतु दी जाने वाली अध्येतावृतियों के लिए विश्वविद्यालय को संबद्धक संस्थान के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।
	निर्णय सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
8–8	डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर की भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा स्वीकृत IMPRESS परियोजना को नस्तीबद्ध किए जाने के आवेदन के संबंध में इस निमित्त गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार एवं निर्णयार्थ।
	व्याख्यात्मक नोट : डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर (तत्समय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कार्यरत) को दिनांक 08.07.2019 को IMPRESS परियोजना के अन्तर्गत ICSSR द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, जिसका राशि रु. 9,00,000/– एवं ओवर हैड़ चार्जेस था। इस संबंध में विस्तृत तत्थात्मक विवरण संलग्न है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुपालना में डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के इस विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण उपरान्त, इस परियोजना को भी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू. 3,60,000/- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिए गये।

सितम्बर, 2021 में डॉ लोढ़ा द्वारा परियोजना से संबंधित व्यय के लगभग 1,70,000/- के बिल भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत किए गए बिलों के संबंध में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा गया तथा निश्चित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण ICSSR को प्रोजेक्ट निरस्त किए जाने के लिए पत्र प्रेषित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

विश्वविद्यालय के पत्रांक 11963 दिनांक 19.02.2022 द्वारा प्रोजेक्ट निरस्त किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके उत्तर में ICSSR द्वारा अवगत करवाया गया कि डॉ. लोढा द्वारा परियोजना की फाईनल रिपोर्ट जमा कर दी गई है तथा इस स्तर पर प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाना संभव नहीं है। ICSSR द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि शिकायत के संबंध में परियोजना निदेशक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कई पत्रों के माध्यम से उक्त शोध परियोजना के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाए जाने हेतु आग्रह किया गया, परन्तु आदिनांक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

डॉ. लोढ़ा द्वारा दिनांक 09.07.2024 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि परियोजना निजी स्तर पर व्यय करके पूरी की जा चुकी है तथा शोध प्रदाता एजेंसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अतः ICSSR- IMPRESS परियोजना संबंधी प्रकरण को नस्तीबद्ध करवा दिया जाए (संलग्न)।

इस क्रम में कुलपति महोदया के निर्देशानुसार एक समिति गठित की गई (आदेश संलग्न) जिसमें सेवानिवृत तथा कार्यरत वरिष्ठ आचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित थे। समिति द्वारा दिनांक 11.09.2024 को प्रकरण से संबंधित समस्त बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श उपरान्त अनुशंसा की गई कि –

1. परियोजना निदेशक से प्रोजेक्ट की कम्पलीशन रिपोर्ट (समस्त दस्तावेजों सहित) एवं इसे स्वीकार किए जाने संबंधी ICSSR द्वारा जारी पत्र प्राप्त कर लिए जाए।
2. समिति द्वारा परियोजना के शैक्षणिक भाग को पूर्ण मानते हुए इसे बंद करने की

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	अनुशंसा की गई। 3. परियोजना के लिए जारी अनुदान में से किसी प्रकार का वित्तीय भुगतान नही होने के कारण, परियोजना के वित्तीय मामले में विश्वविद्यालय एवं फडिंग एजेन्सी के नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाए। परियोजना के स्वीकृति पत्र के अनुसार परियोजना अवधि दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को पूर्ण हो चुकी है। सदन के समक्ष प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति विचारार्थ एवं आगामी आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।
	<u>निर्णय</u> प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 का सदन द्वारा अवलोकन किया गया। इसके साथ ही प्रकरण के पक्षकार डॉ. मनोज कुमार लोढा, सह–आचार्य के पत्र दिनांक 17.10.2024 का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित अभिलेख को भी देखा गया। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में परियोजना के शैक्षणिक भाग को पूर्ण मानते हुए इसे बंद करने की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट पर सदन द्वारा गहन चर्चा की गई। चर्चा के दौरान श्री राजेश कुमार व्यास, सम्माननीय सदस्य द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा मानवीय आधार पर परियोजना के न केवल शैक्षणिक भाग को अपितु सम्पूर्ण प्रकरण को निस्तारित किया जाना उचित होगा। माननीय सदस्य के इस अभिमत पर अन्य सम्मानित सदस्यगण ने भी सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान सदन द्वारा प्रकरण से संबंधित इन तथ्यों का भी संज्ञान लिया गया कि परियोजना की कम्प्लीशन रिपोर्ट ICSSR, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दी गई है, परियोजना की अवधि दिनांक 23.09.2021 को ही समाप्त हो चुकी है, परियोजना के पेटे विश्वविद्यालय द्वारा आदिनांक किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया गया है एवं परियोजना अवधि समाप्त हो जाने के कारण अब भुगतान किया जाना संभव भी नही है। सदन द्वारा इन तथ्यों पर विचार किया गया तथा सदन ने एकमत से इस हेतु सहमति व्यक्त की कि प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण को लम्बित रखने का कोई औचित्य नही रह गया है, प्रकरण में पहले से ही विलम्ब हो चुका है। अतएव, इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सदन द्वारा बाद विचार–विमर्श सर्वसम्मति से समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए न केवल प्रकरण के शैक्षणिक भाग को अपितु प्रकरण को समग्र रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
8–9	राजस्थान एक्ट नंबर 33 ऑफ़ 2012 द्वारा 2012 में संस्थापित एवम् मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 1/2016 दिनांक 10.01.2016 द्वारा बंद कर राजस्थान विश्वविद्यालय में समाहित किए गए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

	तत्कालीन विद्यार्थियों द्वारा 2019 में स्थापित इस विश्वविद्यालय से ट्रांसक्रिप्ट, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, डिग्री आदि जारी किए जाने के मामले निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।
	<u>व्याख्यात्मक नोट :</u> पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (एचजेयूजे) के तत्कालीन विद्यार्थियों द्वारा इस विश्वविद्यालय के सम्मुख समय – समय पर तत्समय विद्यमान हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर से संबंधित डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, प्रव्रजन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज़ जारी किए जाने के आवेदन 2019 में स्थापित इस विश्वविद्यालय से किए जाते है। राजभवन और उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा भी कई बार ऐसे प्रकरण विश्वविद्यालय को अग्रेषित किए गए है। वस्तुस्थिति यह है की पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (एचजेयूजे) 2016 में बंद किया जाकर राजस्थान विश्वविद्यालय में समाहित कर दिया गया था। 2019 में नवस्थापित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम के अनुसार पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (एचजेयूजे) से शिक्षक स्थानांतरित किए गए, साथ ही पुस्तकें, अभिलेख व पत्रावलियां आदि सामग्री भी हस्तांतरित की गई। इसमें प्रथम सेमेस्टर परीक्षा, 2014 छोड़कर कुछ TR_S भी शामिल है, किन्तु प्रव्रजन प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, डिग्रियों आदि की कोई पत्रावलियां प्राप्त नहीं हुई है। इन अधूरे दस्तावेजों के चलते हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (एचजेयू) के पास पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (एचजेयूजे) के विद्यार्थियों के बारें में पुष्ट सूचना – सामग्री का अभाव है। उल्लेखनीय है कि सद्भावी तौर पर एचजेयूजे के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों के लिए प्रव्रजन प्रमाण पत्र (संलग्नक–1) जारी करते हुए पत्रावली संख्या प. 6(ल)(03)एचजेयू/परीक्षा/डिग्री /2020 के पैरा 40/एन–42/एन दिनांक 22.03.2022 के प्रस्ताव तथा उसके पैरा 43/एन पर कुलपति महोदय के दिनांक 24.03.2022 को अनुमोदन अनुरूप यह क्रियाविधि अपनाई गई है कि प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने तथा इस आशय का शपथ पत्र, कि उसने पूर्व में प्रव्रजन प्रमाण–पत्र नहीं लिया हैं, संलग्न करने पर प्रव्रजन प्रमाण–पत्र सद्भावी तौर पर निम्नांकित टिप्पणी के साथ जारी किया जा सकता है:– "उक्त विद्यार्थी का नामांकन एचजेयूजे में वर्ष 2013 में हुआ था। तत्समय विद्यमान विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी, 2016 को बंद किया जा चुका है। उसका रिकार्ड इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने के आधार पर यह प्रमाण–पत्र

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

जारी किया गया है।''

उक्त निर्णयानुसार यह विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती एचजेयूजे के पूर्व विद्यार्थियों के प्रव्रजन प्रमाण–पत्र जारी कर रहा है।

इसी सन्दर्भ में तत्कालीन एचजेयूजे के पूर्व विद्यार्थी ट्रांसक्रिप्ट भी जारी करने का आवेदन (संलग्नक–2) मिला है, जिसमें प्रथम सेमेस्टर परीक्षा, 2014 की TR राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से अप्राप्त होने के कारण इसे एचजेयू से जारी करने का निर्णय, प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी करने की तर्ज पर सद्भावी तौर पर किया जा सकता है। किन्तु इसके बाद पूर्व विद्यार्थियों द्वारा डिग्री की मांग भी की जा सकती है।

अतः उक्त संदर्भ में यह निर्णय अपेक्षित है कि ऐसे मामलों में :–

(i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को ही विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया जाए, क्योंकि तत्समय ये विद्यार्थी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में समाहित हो गए थे; अथवा

(ii) राज्य सरकार से इस विश्वविद्यालय के लिए इस समादेश का निवेदन किया जाए, कि वह पूर्ववर्ती एचजेयूजे के विद्यार्थियों के लिए उक्त प्रकरणों में दस्तावेज जारी करने के लिए एचजेयू को अधिकृत करें और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को निर्देशित करे कि वह समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाए या यह प्रमाणित करें कि उसके पास प्रव्रजन प्रमाण–पत्र, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, डिग्रियां आदि दस्तावेज़ नहीं है।

<u>निर्णय</u>

सदन द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत एजेंडा बिंदु में प्रस्तावित दूसरे विकल्प को स्वीकारते हुए यह निर्णय किया कि राज्य सरकार से इस विश्वविद्यालय के लिए इस समादेश का निवेदन किया जाए, कि वह पूर्ववर्ती एचजेयूजे के विद्यार्थियों के लिए प्रव्रजन प्रमाण–पत्र, ट्रांसस्क्रिप्ट आदि प्रकरणों में दस्तावेज जारी करने के लिए इस विश्वविद्यालय को अधिकृत करे और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को निर्देशित करे कि वह तत्संबंधी समस्त दस्तावेज, इस विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाए या यह प्रमाणित करे कि उसके पास प्रव्रजन प्रमाण–पत्र, स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, डिग्रियां आदि दस्तावेज़ नहीं है। इसके साथ ही विद्यार्थी हित में विश्वविद्यालय द्वारा प्रव्रजन प्रमाण–पत्र के संबंध में पहले से की जा रही कार्रवाई को जारी रखा जाए तथा उपलब्ध सूचना एवं विद्यार्थी से शपथ पत्र प्राप्त कर ट्रांसस्क्रिप्ट आदि जारी किया जाने संबंधी कार्रवाई भी सम्पादित की जावे।

उक्त की प्रबंध बोर्ड से पुष्टि एवं राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने तक की

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	संक्रमण अवधि में प्रस्तुत आवेदनों पर विद्यापरिषद के निर्णय अनुरुप कार्यवाही करते हुए ट्रांसस्क्रिप्ट आदि जारी करवाए जाने के लिए कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। सदन द्वारा पूर्ववर्ती एचजेयजे से प्रत्यावर्तित इस विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को स्वयं के स्तर पर संतुष्टि उपरांत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संस्तुति पत्र दिए जाने के लिए अधिकृत किया गया।
	प्रतिवेदनीय एजेंडा
8–10–1	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक के प्रस्तावानुरूप सत्र 2022–23 में सूचीबद्ध एवं आमंत्रित किए जा रहे प्रति व्याख्यान मानदेय आधारित अतिथि शिक्षकों को आगामी Empanelment होने तक Stop Gap Arrangement के अंतर्गत अनुमत किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3935 दिनांक 30.09.2023 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 3935 दिनांक 30.09.2023 की पुष्टि की गई।
8–10–2	विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसरण में प्रोफेसर आलोक कुमार श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक को HJU-PAT का संयोजक नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 6941 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 6941 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में दैनंदिन गतिविधियों के सुचारू निर्वाह हेतु विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों को शिक्षकों के मध्य आवंटित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 6972 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 6972 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 18(1)(2) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु 02 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कार्यकारी संकायाध्यक्ष बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 6972 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 6972 दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुरूप एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	प.16(3)शिक्षा–4 / 2022 / 00176 पार्ट–2 दिनांक 15.03.2024 (पत्र संलग्न) अनुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं सेवा संबंधी गतिविधियों को सम्पादित किए जाने हेतु मीडिया जगत के 01 अनुभवी व्यक्ति को एड्जंक्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्धारित मानदेय पर सूचीबद्ध किए जाने के अवधि विस्तार संबंधी आदेश क्रमांक 7059 दिनांक 15.03.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 7059 दिनांक 15.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–6	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमत 14 रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यासंबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में सेवाएं लिए जाने के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच एवं पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किए जाने के लिए संकायवार / विभागवार स्क्रीनिंग समिति के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 7107 दिनांक 16.03.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 7107 दिनांक 16.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–7	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ग) एवं धारा 28(1) व (2) के अनुसरण में विद्यापरिषद् एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदया को प्राप्त विशेष शक्तियों के आधार पर विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम विहित करने हेतु अध्ययन बोर्डों के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 7265 दिनांक 27.03.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 7265 दिनांक 27.03.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–8	विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Generic Elective Course (GEC) के रूप में विद्यार्थियों को पर्यटन संचार (Tourism Communication) का पाठ्यक्रम विकल्प के रूप में उपलब्ध करवाए जाने के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु गठित समिति के आदेश क्रमांक 150 दिनांक 09.04.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 150 दिनांक 09.04.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–9	विश्वविद्यालय के समकक्षता संबंधी (शैक्षणिक) मुद्दों / विषयों के अवलोकन / संवीक्षा हेतु समकक्षता समितियों के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 251 दिनांक 20.04.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 251 दिनांक 20.04.2024 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8–10–10	विश्वविद्यालय में सत्र 2024–25 में संचालित विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के लिए प्रवेश–प्रक्रिया से संबंधित समस्त कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु प्रवेश समिति के गठन के आदेश क्रमांक 218 दिनांक 20.04.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 218 दिनांक 20.04.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–11	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं के प्रत्येक इलैक्टिव पाठ्यक्रम तथा स्नातक पाठ्ययोजना के प्रत्येक GEC, AECC एवं SEC पाठ्यक्रम के लिए एसोसिएट समिति गठित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 327 दिनांक 24.04.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 327 दिनांक 24.04.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–12	एचजेयू – पीएटी, 2024 की 13 सीटों के आरक्षणवार विवरण हेतु जारी आदेश क्रमांक 584 दिनांक 04.05.2024, बहुविकल्पी प्रश्नों के निर्माण व उत्तर तैयार करने के पारिश्रमिक एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों/उत्तरों पर आपत्ति करने का शुल्क निर्धारित करने संबंधी आदेश क्रमांक 595 दिनांक 04.05.2024 तथा प्रश्नों पर आपत्तियों के निस्तारण एवं उत्तर–कुंजियों के प्रमाणीकरण हेतु विषय–विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक 607 दिनांक 04.05.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 595 दिनांक 04.05.2024 तथा 607 दिनांक 04.05.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–13	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 27(1) के प्रावधानों के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 11(19) में विहित कुलपति महोदया को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में, विश्वविद्यालय में संचालित बीए–जेएमसी पाठ्य–योजना को भूतलक्षी प्रभाव से पत्रकारिता संकाय में सम्मिलित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 748 दिनांक 18.05.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 748 दिनांक 18.05.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–14	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ञ) के अनुसरण में सत्र 2024–25 से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना संबंधी आदेश क्रमांक 993 दिनांक 04.06.2024 की पुष्टि।
	<u>निर्णय</u> सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 993 दिनांक 04.06.2024 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8–10–15	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि पाठ्यपोजनाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश समिति द्वारा तैयार एवं लागू की गई प्रवेश नीति एवं इस निमित्त जारी आदेश क्रमांक 1212 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1212 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–16	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) व (ग) के अनुसरण में विभिन्न अध्ययन बोर्डों की अनुषंसा एवं विद्यापरिषद् तथा प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदया को प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र 2024–26 एवं 2024–27 में विभिन्न पाठ्यपोजनाएं मय स्तर, अवधि, सीट आदि संचालित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1184 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1184 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–17	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए प्रॉस्पैक्टस समिति द्वारा तैयार प्रॉस्पैक्टस (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति को प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी प्रॉस्पैक्टस (संलग्न) एवं इस निमित्त जारी आदेश क्रमांक 1197 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1197 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–18	विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार की विद्यासंबल योजनान्तर्गत शिक्षण सहयोग देने के इच्छुक अतिथि शिक्षकों का पैनल तैयार किए जाने के लिए गठित संकायवार/विभागवार स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसानुरूप अतिथि शिक्षकों को सत्र 2023–24 के लिए सूचीबद्ध किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1091 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1091 दिनांक 07.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–19	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 के क्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (Student Grievance Redressal Committee - SGRC) में समन्वयक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक की अनुशंसानुसार शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए दिग्विजय सिंह, विद्यार्थी, द्वितीय सेमेस्टर, एम.ए.–विज्ञापन और जनसंपर्क को विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में सम्मिलित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1370

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	दिनांक 14.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1370 दिनांक 14.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–20	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को न्यायोचित अवसर उपलब्ध करवाये जाने के लिए तैयार ड्राफ्ट गाइडलाइंस (फरवरी, 2023) के अनुरूप विश्वविद्यालय में Equal Opportunity Cell के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 1394 दिनांक 14.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1394 दिनांक 14.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–21	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 में पारित निर्णय की अनुपालना में यूजीसी के ''उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009'' एवं सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1–15/2009 (एआरसी) भाग–3 दिनांक 27 जून, 2019 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में ''एंटी रैगिंग कमेटी'' के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 1444 दिनांक 18.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1444 दिनांक 18.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–22	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा–11 (19) के अन्तर्गत कुलपति महोदया को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय/संकल्प क्रमांक 4–8 के अनुसरण में परिनियम/विनियम/ऑर्डिनेंस के पुनरीक्षण/परीक्षण/ पुनरावलोकन के लिए गठित समिति के आदेश क्रमांक 2686 दिनांक 28.07.2023 के अधिक्रमण में समिति का पुनर्गठन किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1834 दिनांक 28.06.2024 सूचनार्थ।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1834 दिनांक 28.06.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–23	विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप संचालित विभिन्न पाठ्य–योजनाओं/पाठ्यक्रमों में सत्र 2023–24 से प्रवेशित विद्यार्थियों की TR एवं अंकतालिकाओं के डिजीलॉकर के टेम्पलेट की अनुरूपता में निर्मित एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11(19) से कुलपति महोदया को प्राप्त शक्ति के अनुसरण में जारी प्रारूप की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से प्रारूप की पुष्टि की गई।

और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8–10–24	विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत एवं विश्वविद्यालय के नवीन परिसर तथा भवन के लोकार्पण समारोह दिनांक 29.06.2024 का प्रतिवेदन सदन के समक्ष सूचनार्थ।
	निर्णय सर्वसम्मति से प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।
8–10–25	राज्य के प्रथम जनसम्पर्क एवं सूचना निदेशक श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट की स्मृति में विधितः स्थापित राजेन्द्र शंकर भट्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप रु. 5,16,802/– की सामग्री (कम्प्यूटर, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर, पुस्तके आदि) उपलब्ध करवाया जाना सदन के सूचनार्थ निवेदित है।
	व्याख्यात्मक नोट : राजेन्द्र शंकर भट्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर एक विधितः स्थापित एक ट्रस्ट है जो जरूरत मंद छात्र–छात्राओं को सुविधाएं यथा किताबें, छात्रवृत्ति एवं पढाई से संबंधित उपकरण उपलब्ध करवाती है। यह ट्रस्ट श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट की स्मृति में बनाया गया है जो राज्य के प्रथम जनसम्पर्क एवं सूचना निदेशक थे। जिनके अथक प्रयासों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्थापना हुई। ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप रु. 5,16,802/– की निम्नांकित सामग्री का सहयोग प्राप्त हुआ है : 1. Professional Video Editing set up (Computer system + video Editing software) HP DT TG02 - 1106IN VICTUS System with HP LED 22" and Software worth Rs. 169700/- 2. 4 Canon Cameras D-200 and D-1500 along with memory card, Tripod and Camera case and 4 Digital Audio Recorder (Sony 570 F Light weight audio recorder with 20 hour battery, 4 GB build up Memory) Worth Rs. 252600/- 3. Books on Journalism worth Rs. 94502/-
	निर्णय सदन द्वारा राजेन्द्र शंकर भट्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता एवं सहयोग की सराहना की गई।
8–10–26	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचना जिसमें कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नत किए जाने के संबंध में दिनांक 17.01.2019 से पूर्व अर्हता रखने वाले शिक्षकों को शिथिलन दिया जाना प्रावधित किया गया है, के संबंध में अनुमति दिए जाने बाबत राज्य सरकार को प्रेषित पत्रांक 2864 दिनांक 04.08.2023 के संबंध में राज्य सरकार (प.16(2)शिक्षा–4/ 2024–03303

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	दिनांक 03.02.2024) का प्रतिउत्तर सदन के समक्ष सूचनार्थ।
	निर्णय सदन द्वारा पत्रों को सूचनार्थ स्वीकार किया गया।
8–10–27	कॅरियर एडवान्समैन्ट स्कीम (CAS) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के छः सहायक आचार्यों को प्रोन्नत किए जाने संबंधी कार्रवाई एवं जारी आदेश क्रमांक 3346 दिनांक 24.09.2024 तथा 3356 दिनांक 24.09.2024 सूचनार्थ।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 3346 एवं 3356 दिनांक 24.09.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–28	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल कलैण्डर एवं समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक के प्रस्तावानुरुप सत्र 2024–25 के एकेडमिक कलैंडर के आदेश क्रमांक 3496 दिनांक 01.10.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 3496 दिनांक 01.10.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–29	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर और माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन, भोपाल के मध्य दोनों विश्वविद्यालयों में अध्यापन एवं शोध के पारस्परिक हितों के लिए सूचनाओं के आदान–प्रदान, सामान्य शिक्षा एवं कौशलपरक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए जाने में सहयोग, शैक्षणिक उद्देश्य से पारस्परिक स्वीकृति अनुरूप सुविधाओं तक पहुँच बनाने लघु अवधि पाठ्यक्रम संचालित किए जाने इत्यादि के लिए किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से समझौता ज्ञापन (MoU) की पुष्टि की गई।
8–10–30	विश्वविद्यालय एवं AFYON KOCATEPE UNIVERSITY TURKIYE के मध्य दिनांक 22.06.2024 को शिक्षण एवं शोध गतिविधियों के प्रोत्साहन, एक–दूसरे के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर पारस्परिक समझ विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से समझौता ज्ञापन (MoU) की पुष्टि की गई।
8–10–31	विश्वविद्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के जन जागरण एवं विश्वविद्यालय को जनसंचार और संबंधित क्षेत्रों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र (UN) के डिपार्टमेंट ऑफ़ ग्लोबल कम्युनिकेशन से निम्नानुसार 02

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	एम.ओ.यू. (संलग्न) की पुष्टि : 1. वैश्विक स्तर पर जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार विभिन्न टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु। 2. संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार समाचार कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए।
	निर्णय सर्वसम्मति से समझौता ज्ञापन (MoU) की पुष्टि की गई।
8–10–32	समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) के प्रस्तावानुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षकों की अत्यल्पता की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अकादमिक सत्र (2023–24) के सम–समैस्टर में विद्यार्थियों के लिए मीडिया जगत के विषय विशेषज्ञों के अंतर क्रियात्मक सत्र (इंटेरेक्टिव सेशस) करवाए जाने की तथा इस हेतु आमंत्रित व्यक्तियों को उनकी विषय विशेषज्ञता के आधार पर 1,000/– रूपये प्रति सत्र (एक घंटा) मानदेय का भुगतान किए जाने की स्वीकृति संबंधी आदेश क्रमांक 125 दिनांक 06.04.2024 की पृष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 125 दिनांक 06.04.2024 की पुष्टि की गई।
8–10–33	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5(i)(ii) एवं 7(ग) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय के दोनों संकायों के अन्तर्गत 05 विभागों (मीडिया अध्ययन, मीडिया संगठन और जनसंपर्क, न्यू मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं विकास संचार) में संचालित विभिन्न स्नातकोत्तर, स्नातक एवं पी जी डिप्लोमा की पाठ्योजनाओं के सत्र 2024–26/2024–27/ 2024–25 के लिए पाठ्यक्रम लागू किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1105 दिनांक 07.06.2024, क्रमांक 1259 दिनांक 07.06.2024, क्रमांक 2657 दिनांक 12.08.2024, क्रमांक 2671 दिनांक 12.08.2024 एवं क्रमांक 2763 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि।
	निर्णय सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1105 दिनांक 07.06.2024, क्रमांक 1259 दिनांक 07.06.2024, क्रमांक 2657 दिनांक 12.08.2024, क्रमांक 2671 दिनांक 12.08.2024 एवं क्रमांक 2763 दिनांक 17.08.2024 की पुष्टि की गई।
8–11	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से
	पूरक कार्यसूची (पूरक एजेंडा)
8–12	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (HJU) में Centre for Community Engagement (Living Knowledge Centre), स्थापित करने के प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	व्याख्यात्मकनोटः इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य समुदाय और विश्वविद्यालय के बीच स्थाई और सार्थक संवाद को प्रोत्साहित कर सिद्धांत और व्यवहार के मध्य के अन्तर को कम करना है। यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो शिक्षा को अधिक उत्तरदायी और सार्थक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके तहत सामुदायिक विकास, ज्ञान का प्रसार, और सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। केंद्र सामुदायिक जुड़ाव के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय के इस प्रयास से न केवल शिक्षा और अनुसंधान को सशक्त किया जाएगा, बल्कि यह समुदाय के साथ सक्रिय भागीदारी और ज्ञान के आदान–प्रदान को भी सुगम बनाएगा।
	निर्णय सदन द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा यह भी अनुशंसित किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (घ) के अनुरुप इकाई की स्थापना किए जाने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
8–13	Intangible Cultural Heritage of Rajasthan के संरक्षण और संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण के लिए प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **व्याख्यात्मक नोटः** जयपुर, जिसे "गुलाबी नगर" के नाम से जाना जाता है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प, नृत्य, संगीत, और स्थानीय रीति–रिवाज शामिल हैं, को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य गुलाबी नगर की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है, ताकि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके।
	निर्णय सदन की अनुशंसानुरूप 'Intangible Cultural Heritage of Rajasthan' की परियोजना के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8–14	विश्वविद्यालय में "Disability" पर दो–दिवसीय सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **व्याख्यात्मक नोटः** यह प्रस्ताव Disability पर दो–दिवसीय सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रस्तुत किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य Disability के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार–विमर्श

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	करना और समाज में जागरूकता फैलाना है। विशेष रूप से, यह सम्मेलन मीडिया की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो disable व्यक्तियों के अधिकारों, चुनौतियों, और Progressive Disabilities से जुड़ी मनोवैज्ञानिक प्रभावों को उजागर करने में अहम होगा।
	<u>निर्णय</u> प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)
8–15	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्रकारिता और जनसंचार के साथ अनुप्रयुक्त सूचना और प्रोद्योगिकी सहित सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु जनसंचार संकाय के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 से निम्नानुसार दो नवीन विभागों की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन : 1. सूचना संचार और तकनीकी विभाग 2. सिनेमा अध्ययन विभाग **<u>व्याख्यात्मक नोट</u> :** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5(i), (ii) एवं (iii) में पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र के साथ–साथ अनुप्रयुक्त सूचना प्रोद्योगिकी सहित सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना तथा इन क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ज्ञान का प्रसार और उसका अभिवर्धन किया जाना विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्यों में स्वीकार किया गया है। अधिनियम की भावना के अनुरुप सूचना प्रोद्योगिकी के साथ जनसंचार विश्वविद्यालय के संयोजन से ज्ञान की नई संभावनाओं को तलाश किया जा सकता है एवं इस निमित्त स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर और सूचना तकनीकी के शिक्षण से विश्वविद्यालय को एक बहुअनुशासनात्मक इकाई के रुप में विकसित किया जा सकता है। सूचना प्रोद्योगिकी के साथ–साथ सिनेमा और जनसंचार का संबंध भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण होता है। सिनेमा अध्ययन अपनेआप में एक स्थापित अकादमिक अनुशासन है। डिजिटल मीडिया के विस्तार से वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं में सिनेमा के वितरण, प्रसार और प्रभाव में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) के अनुसरण में इन अकादमिक विधाओं के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए जनसंचार संकाय के अन्तर्गत निम्नानुसार दो विभागों की स्थापना का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है: 1. सूचना एवं संचार प्रोद्योगिक विभाग 2. सिनेमा अध्ययन एवं प्रदर्शनकारी कला विभाग

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	<u>निर्णय</u> सदन द्वारा नवीन विभागों के स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत जनसंचार संकाय के अंतर्गत निम्नानुसार दो विभागों की स्थापना के प्रस्ताव का सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदन किया गया: 1. सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी विभाग (Department of Information & Communication Technology) 2. सिनेमा अध्ययन एवं प्रदर्शनकारी कला विभाग (Department of Cinema Studies & Performing Arts)
8–16	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 5(i), (ii) एवं (iii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 7(ख) एवं 7(ग) के प्रावधानों के अनुसार जनसंचार संकाय के अन्तर्गत नवीन प्रस्तावित विभागों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 से अथवा इस निमित्त तकनीकी, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता होने पर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नानुसार पाठ्ययोजनाएं आरंभ किए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है: 1. सूचना संचार और तकनीकी विभाग के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर : (i) BCA (Bachelor in Computer Application) (ii) BIT (Bachelor in Information Technology) 2. सिनेमा अध्ययन विभाग के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर: (i) एम.ए (सिनेमा अध्ययन) • उक्त सभी पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार करवाए जाएंगे। • यह सभी पाठ्ययोजनाएं स्ववित्त पोषित होंगी। • बी.सी.ए. एवं बी.आई.टी. पाठ्ययोजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तीन वर्षीय तथा बी.सी.ए (आनर्स) तथा बी.आई.टी (आनर्स) की अवधि चार वर्षीय रखी जाएगी। • सभी पाठ्ययोजनाओं को विश्वविद्यालय में वर्तमान में पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से सुनियोजित एकीकरण स्थापित करते हुए संचालित किया जाएगा। • प्रस्ताव के अनुमोदन की स्थिति में इन विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करवाए जाने, सीटों की संख्या, अर्हता, क्रेडिट वितरण आदि के संबंध में निर्णय हेतु कुलपति की अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। • उक्त पाठ्ययोजनाओं के लिए यथाआवश्यकता निकायों से अनुमति/मान्यता/सम्बद्धता तथा राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता/सहयोग प्राप्त किए जाने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया जाना भी प्रस्तावित है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

निर्णय

सदन द्वारा प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श के उपरांत जनसंचार संकाय के अन्तर्गत नवीन प्रस्तावित विभागों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 से अथवा इस निमित्त तकनीकी, वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता होने पर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्व वित्त पोषी आधार पर निम्नानुसार पाठ्‌ययोजनाएं आरंभ किए जाने का प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया:

1. सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी विभाग (Department of Information & Communication Technology) के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर :
   (i) BCA (Bachelor in Computer Application) – 3 वर्ष
   (ii) BCA (Bachelor in Computer Application) Honours – 4 वर्ष
   (iii) BIT (Bachelor in Information Technology) – 3 वर्ष
   (iv) BIT (Bachelor in Information Technology) Honours – 4 वर्ष
2. सिनेमा अध्ययन एवं प्रदर्शनकारी कला विभाग (Department of Cinema Studies & Performing Arts) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर:
   (i) एम.ए. सिनेमा अध्ययन (M.A. Cinema Studies)
   (ii) एम.ए. प्रदर्शनकारी कला (M.A. Performing Arts)

- इन विभिन्न पाठ्‌ययोजनाओं के लिए पाठ्‌यक्रम तैयार करवाए जाने, सीटों की संख्या, अर्हता, क्रेडिट वितरण आदि के संबंध में निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।
- उक्त पाठ्‌ययोजनाओं के लिए यथाआवश्यकता निकायों से अनुमति/मान्यता/सम्बद्धता तथा राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता/सहयोग प्राप्त किए जाने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

8–17 हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 5(i),(ii) एवं (iii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारा 7(ख) एवं (ग) के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 से पत्रकारिता संकाय के अन्तर्गत संचालित मीडिया अध्ययन विभाग में निम्नानुसार नवीन पाठ्‌यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है:

1. एम.ए (फैशन कम्यूनिकेशन)

व्याख्यात्मक नोट :

फैशन इंडस्ट्री देश के प्रमुख सेक्टर्स में शामिल है और इसमें बड़ी संख्या में दक्ष प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। फैशन उद्योग में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं काफी अधिक हैं। फैशन इंडस्ट्री में दक्ष कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता एवं युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता को देखते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर दो वर्षीय एम. ए. (फैशन कम्युनिकेशन) पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। पत्रकारिता और

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	जनसंचार का विश्वविद्यालय होने के कारण यह पाठ्यक्रम शुरू करना उचित होगा। ढांचागत सुविधाएं और फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से विश्वविद्यालय को विस्तार देने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिल सकती है। इस पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप संचालित किया जाएगा जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाए। दो सेमेस्टर पूर्ण करने के बाद कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम छोड़ना चाहे तो उसे पीजी डिप्लोमा (फैशन कम्युनिकेशन) प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार फैशन कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति को समकक्षता समिति से पात्रता परीक्षण करवाने के बाद अंतिम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में फैशन उद्योग, फैशन इवेंट, फैशन उद्योग में जनसंपर्क की भूमिका, फैशन एवं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म आदि को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण एक कमेटी के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें पत्रकारिता और जनसंचार विषय के साथ ही फैशन इंडस्ट्री से किसी व्यक्ति को बाहरी विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया जाएगा।
	<u>निर्णय</u>
	प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श उपरांत उक्त पाठ्ययोजना को संचालित किए जाने हेतु जनसंचार संकाय के अन्तर्गत एक नवीन विभाग के निम्नानुसार स्थापना किए जाने का सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया: **फैशन संचार विभाग (Department of Fashion Communication)** उक्त नव प्रस्तावित फैशन संचार विभाग के अन्तर्गत स्व–वित्त पोषी आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नानुसार पाठ्ययोजना आरम्भ किए जाने का निर्णय किया गया: **एम.ए फैशन कम्यूनिकेशन (M.A. Fashion Communication)** • इस पाठ्ययोजना के लिए पाठ्यक्रम तैयार करवाए जाने, सीटों की संख्या, अर्हता, क्रेडिट वितरण आदि के संबंध में निर्णय हेतु कुलपति की अधिकृत किया गया। • इस पाठ्ययोजना के लिए यथाआवश्यकता निकायों से अनुमति/मान्यता/सम्बद्धता तथा राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सियों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता/सहयोग प्राप्त किए जाने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

सुधि राजीव

(प्रो.सुधि राजीव)
कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

24/X/2024
(भंवर लाल मेहरड़ा)
RAS
कुलसचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)